



4. प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया (Admission Rules and Procedures)

(क) सामान्य सूचनाएँ (General Information)

1. ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य 1 जुलाई, 2022 से प्रारम्भ होगा।
2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएँगे।
3. विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सहित संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर या वेब साईट पर यथासमय लगा दिया जाएगा। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/ महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
4. निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जाएँगे तथा उनका नाम प्रवेश-सूची से हटा दिया जाएगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा।
5. स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।

(ख) सामान्य नियम (General Rules)

1. विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्ध) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक् से अधिसूचना जारी की जाएगी, को छोड़कर विभिन्न कक्षाओं में सभी नए प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिए जाएँगे। विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वाद्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता/प्रवेश परीक्षा द्वारा दिया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिए जाएँगे। प्रवेश हेतु वरीयता क्रम 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक (प्रायोगिक को छोड़कर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगा। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश वरीयता अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोड़कर निर्धारित की जाएगी।
2. किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि, डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
3. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आवेदक के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान का मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र होने पर ही राजस्थान का निवासी माना जाएगा अन्यथा ऐसे आवेदकों के पास न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा तथा उन्हें बाहरी राज्य का आरक्षित वर्ग होने पर भी राजस्थान में सामान्य वर्ग का माना जाएगा।
4. प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 48% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।
5. स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 50% अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश के योग्य माने जाएँगे।

टिप्पणियाँ:

- (i) राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60% से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों।
- (ii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जाएगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।

- (iii) केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के इस विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय गुप/समूहों के अनुसार ही दिया जाएगा। इन विषय गुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी पड़ेगी।
- (iv) यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जाएगा।
- (v)(a) किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कारण से महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे विश्वविद्यालय के संघटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसी श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपर्युक्त वर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हों।
- (b) स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। उसे पुनः उस पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी। जहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, वहाँ पुनः प्रवेश परीक्षा देकर ही प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।
- (c) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने तत्काल विगत सत्र में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।
- (vi) स्नातकोत्तर/स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे इस विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है, उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।
- (vii) जहाँ प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं, वहाँ विद्यार्थी को अपने प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी को जमा कराने होंगे अन्यथा उसका नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं होगा।
- (viii) यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना हो तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा तथापि यदि समस्त योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए./एम.कॉम. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जाएगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो।
एम.एससी./एल.एल.बी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।
- (ix) वे छात्र जो बी.ए./बी.एससी. स्नातक सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य माने जाएंगे।
- (x) सांख्यिकी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय वाले योग्य छात्रों के प्रवेश उपरान्त कला/विज्ञान निष्णात सांख्यिकी (M.A./M.Sc. Statistics) के बचे हुए रिक्त स्थानों पर उन छात्रों को भी प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. स्नातक उपाधि गणित एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो।
- (xi) जिन विभागों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनका विवरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

(xii) एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय में दो स्थान राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदकों (T.R.F.) के लिए आरक्षित हैं।

(xiii) किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) आरक्षण (Reservation)

1. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का निम्नलिखित प्रकार से आरक्षण रहेगा -

(i) अनुसूचित जातियाँ	16%
(ii) अनुसूचित जनजातियाँ	12%
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)*	21%
(iv) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग*	10%

* (ई डब्ल्यू एस तथा ओ बी सी (non creamy layer) का प्रमाण पत्र एक वर्ष तक मान्य है किंतु यदि आवेदक की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो तो एक वर्षीय मूल प्रमाण पत्र की तिथि से आगामी दो वर्ष तक आवेदक स्वप्रमाणित शपथ पत्र दे कर पात्र रह सकेगा।)

(v) दिव्यांग अभ्यर्थी (क्षैतिजिक आरक्षण)*	5%
*(मूक बधिर एवं दृष्टि बाधित को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय होगा तथा ये सीटें अतिरिक्त मानी जाएंगी।)	

(vi) विस्थापित कश्मीरी (हिन्दू एवं पंडित)	1%
(vii) अति पिछड़ा वर्ग	5%
(viii) एम. फिल. कक्षाओं में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षक (TRF) (प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त स्थान)	2 स्थान

(ix) प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र बलों/राजस्थान पुलिस कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को प्राथमिकता (क्रमशः एक्शन में मृत्यु, निःशक्तता, गैलेण्ट्री अवार्ड तथा पुरस्कार प्राप्त पूर्व सैनिक) को आरक्षण।

नोट : (1) प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों के पुत्र/पुत्री को वरीयता निर्धारण में 3 प्रतिशत की वृद्धि दी जाएगी। (2) प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवा में रहते हुए शहीद हुए के पुत्र/पुत्री का न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश होगा।

(x) स्कूली शिक्षा के निदेशक द्वारा मनोनीत शिक्षक के लिए प्रत्येक एम.एससी. प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में एक सीट/अभ्यर्थी न होने पर सीट सामान्य वरीयता से भर दी जाएगी।

(xi) तृतीय लिंग (Transgender) अभ्यर्थियों को सहशिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर होगा।

(xii) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवा में तीन वर्ष या उससे अधिक वर्ष स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण रहेगा -

(a)	एम.एससी. (पूर्वाद्ध)	विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर	1 स्थान
(b)	एम.एससी.-पोलिमर विज्ञान	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(c)	तैयार वस्त्र अध्ययन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम	शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग में से योग्यता के आधार पर	1 स्थान
(d)	पुस्तकालय विज्ञान स्नातक	संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत जेटीए के लिए (सक्षम अधिकारी की अनुशांसा पर)	जेटीए के लिए आरक्षित आठ स्थानों में से एक स्थान

- (xiii) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अतिरिक्त बची हुई सीटों को 50 प्रतिशत सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के लिए होगी। अनु.जाति/जजा. आरक्षित वर्गों की मेरिट अलग बनेगी। अनु.जाति/जजा के लिए आरक्षित सीटों के 50 प्रतिशत स्थानों पर इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जजा छात्रों के लिए रखी जाएगी। उचित संख्या में इस विश्वविद्यालय के अनु.जाति/जनजाति वर्ग के छात्र उपलब्ध न होने पर ये सीटें इन्हीं वर्गों के लिए (अनु.जाति/जनजाति) छात्रों को दी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने पर एवं प्रवेश की स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से भरी जा सकेंगी। आरक्षित वर्ग की एक सीट होने पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
- (xiv) (अ) स्वचित पोषित पाठ्यक्रमों में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए ही रहेगा। अन्य किसी प्रकार का आरक्षण इन पाठ्यक्रमों में नहीं रहेगा।
(ब) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों (स्वचित पोषित सहित) में अनुसूचित जाति व जनजाति अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) आवेदन पत्र की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
- (xv) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारी/उनके पुत्र या पुत्री -
(अ) शैक्षणिक कर्मचारी 3%
(ब) गैर-शैक्षणिक कर्मचारी 3%
(उपर्युक्त आरक्षण का लाभ पाठ्यक्रमों के सभी सामान्य पाठ्यक्रमों में उपलब्ध होगा)।

नोट: इस आरक्षण के अन्तर्गत किसी शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह लाभ शैक्षणिक कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को देय होगा। इसी तरह शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह आरक्षण का लाभ शैक्षणिक कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को भी मिलेगा।

टिप्पणियाँ :

- यदि सामान्य रूप से ही किसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की संख्या कक्षा की कुल क्षमता के 5% अथवा उससे अधिक हैं तो महिला वर्ग का आरक्षण वहाँ लागू नहीं होगा।
- आरक्षण के लाभ हेतु कर्मचारियों के केवल पुत्र या पुत्री ही उनके आश्रित समझे जाएँगे।
- यदि जाँच के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदक आरक्षित स्थान में किसी विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के लाभ का हकदार नहीं है तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु

- किसी भी कक्षा व पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा के उत्तीर्णकों (बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./ऑनर्स व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु XII कक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णकों व स्नातकोत्तर व समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. इत्यादि परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णक अंक) पर इन्हीं वर्गों की मेरिट के क्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी संकायों और विभागों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व डिप्लोमा में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा तथा समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित अनु.जाति/जनजाति के छात्रों के लिए प्रवेश हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक के बाद रिक्त आरक्षित स्थानों पर सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को प्रवेश की अन्य समस्त शर्तें पूरी करने पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के लिए पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः नवीन आवेदन पत्र मांगने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को सूचना दी जाएगी। जहाँ प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वहाँ नवीन आवेदन पत्र प्रवेश परीक्षा के पूर्व मांगे जाएँगे। तथापि प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में से किसी भी एक वर्ग के रिक्त स्थानों को (अनुसूचित जाति व जनजाति) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर भरा जाकर कुल आरक्षित स्थान भरे जा सकेंगे।
- विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम व डिप्लोमा के लिए जहाँ प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) निर्धारित है वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को

प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) के लिए पात्रता पिछली कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (विधि स्नातक के लिए 40%) (Pass Marks) के आधार पर होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र सामान्य वर्ग की प्रवेश मेरिट के अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानकर प्रवेश दिया जाएगा तथा इन्हें आरक्षित कोटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बचे हुए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम निर्धारित अंक (Cutoff Point Marks) नहीं रखते हुए इन्हीं की वरीयता क्रम में निम्नगामी क्रम (Descending Order) में आरक्षण कोटे के पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जाएगा।

- (viii) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक व स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फाइनल) स्तर पर वैकल्पिक विषयों व ग्रुप को उनकी वरीयता के विषय आरक्षण प्रतिशत के अनुसार दिए जाएंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय व ग्रुप में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16% जनजाति के लिए 12% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% नियमानुसार रखा जाएगा।
- (ix) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश में 21% आरक्षण देय होगा।
- (x) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्तपोषित सहित) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।

(घ) योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण

(Relaxation and Weightage in Determination of Merit)

- (i) बी.बी.एम., एम.बी.ए., विधि संकाय, पुस्तकालय विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान प्रवेश परीक्षा एवं सभी अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई रियायत एवं भारण देय नहीं है।
- (ii) अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष गुण सम्पन्न विद्यार्थियों, जिनमें खिलाड़ी/एन.सी.सी. कैडेट बी एवं सी सर्टिफिकेट आदि सम्मिलित हैं उन्हें योग्यता निर्धारण हेतु रियायतें एवं भारण प्रदान किए जा सकते हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत चार वर्षों में प्राप्त की हो। एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट धारकों के लिए भी यह अवधि विगत चार वर्ष मानी जाएगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को समाहित कर निम्नांकित तालिकानुसार रियायत/भारण अंक उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रदान किए जाएंगे-

1 खेलकूद एवं अन्य भारांक (Games, Sports & Other Weightage)

1.1 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व (iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता / उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश

	(v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ. आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
ब	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तरविश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस)/आई.पी.एस./सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	6 प्रतिशत
स	(i) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन/सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv) सी.बी.एस.ई. की क्लस्टर/जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	5 प्रतिशत
द	(i) राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता / उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत

य	(i) राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर (ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर प्रतिनिधित्व करने पर (iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर (v) सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की क्लस्टर/जोन/रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	2 प्रतिशत
---	--	-----------

विशेष टिप्पणी :

(अ) के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

1.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

क्रम संख्या	उपलब्धि	जिनका प्रमाण पत्र मान्य होगा
1	अ(i) से(vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई. सी. बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव
2	ब से स के (i) से(iv)	विश्वविद्यालय कीडा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी /आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।
3	द का(i) से(v) एवं य का(i) से(v)	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपजिला शिक्षा अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. एथलेटिक्स (क्रॉस कन्ट्री दौड़ सहित) | 19. जूडो |
| 2. जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो) | 20. मुक्केबाजी |
| 3. बैडमिन्टन | 21. मिनी गोल्फ |
| 4. बास्केटबॉल | 22. तीरन्दाजी |
| 5. शतरंज | 23. निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल |
| 6. क्रिकेट | 24. सॉफ्टबॉल |
| 7. साइकिलिंग | 25. अमेरिकन फुटबॉल |
| 8. फुटबाल | 26. बॉल बैडमिन्टन |
| 9. हॉकी | 27. नेट बॉल |
| 10. कबड्डी | 28. रोलबॉल |
| 11. खो-खो | 29. रग्बी |
| 12. टेबिल टेनिस | 30. स्कवैश रैकट |
| 13. टेनिस | 31. ताइक्वांडो |
| 14. वॉलीबॉल | 32. वुशू |
| 15. हैण्डबाल | 33. योगा |
| 16. कुश्ती | 34. पॉवर लिफ्टिंग |
| 17. भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव | 35. ब्रिज |
| 18. जिमनास्टिक | |

1.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिवीजन/विंग (पाँच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर • गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान • पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काई डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट • एडवेंचर माउण्टेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेयरिंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट • सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट • बी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट • ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	6 प्रतिशत

द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	5 प्रतिशत
	गणतंत्र दिवस कैम्प	
	अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	
	पैरा जम्पिंग कोर्स	
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना।	
	विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	विद्यार्थी विंग में बी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ	
	स्नो-स्कीइंग कोर्स	
	सीनियर अण्डर ऑफिसर/सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट	
	फ्लाईट सार्जेंट रैंक पर नियुक्ति।	
य.	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर।	3 प्रतिशत
	सी प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ	
	बी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ	
	जूनियर डिवीजन ए प्रमाण-पत्र सी ग्रेड के साथ	
	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	
	ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
	वॉटर स्कीइंग कोर्स	
	अण्डर ऑफिसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जेंट रैंक पर नियुक्ति	

1.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुँच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 1.2 में दिया गया नियम लागू होगा।

1.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द.	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

1.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेंजर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स.	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को।	3 प्रतिशत

1.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास (शिक्षा) एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय / राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी : उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्ब) कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

1.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण-पत्र होने पर।	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर।	2 प्रतिशत

1.9 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

क्रम संख्या	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण-पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

1.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो।)	3 प्रतिशत (एम.बी.ए. कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

1.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए. कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

1.12 जिन अभ्यर्थियों के माता / पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबकि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल द्वारा जारी डेथ समरी / मुख्यमंत्री सहायक कोष से कोविड-19 महामारी में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में कोविड- 19 द्वारा मृत्यु होने का उल्लेख होने पर माता / पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पति की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा (सम्पूर्ण शुल्क माफी) प्रदान किये जाने के साथ साथ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में स्थित छात्रावासों में भी निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा।

1.13 नियम संख्या 1.1 से 1.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।

1.14 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्कैन कर अपलोड करना होगा। आवश्यकता होने पर ऑफलाईन आवश्यक दस्तावेज मूल एवं प्रतिलिपि में प्रस्तुत करने होंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन हो सकती है। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.15 उपर्युक्त नियम में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा।

1.16 उपर्युक्त नियम में वर्णित लाभों में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।

1.17 प्रवेश शुल्क छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस तथा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी।

टिप्पणी :

- (1) नियम 1.1 से 1.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की न्यूनतम पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं है।
- (2) न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य विद्यार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के साथ एक शपथ-पत्र भी लगाना होगा जिसको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना है। भारण समिति (Weightage Committee) के समक्ष उपस्थिति के समय उनकी पात्रता तय की जाएगी।
- (3) उपर्युक्त लाभ प्राप्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे या ऐसे प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। **मूल प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित संस्थान से प्रमाणीकरण के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होगा।**
- (4) उपर्युक्त नियम 1.1 से 1.6 में वर्णित लाभों में से किसी एक उपलब्धि (जो भी अधिकतम) का लाभ अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न रहा हो।
- (5) उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक ही बार लाभ देय होगा।

नोट : सीधे प्रवेश योग्य (Out-Right) विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय/ग्रुप में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त स्थान दिया जा सकता है।

(ड) प्रवेशार्थियों के रियायत/भारण अंक सम्बन्धी मामलों की जाँच के लिए केन्द्रीय समिति

(Central Committee for Verification of Cases for Concessions, Weightage etc.)

- (1) कुलपति द्वारा गठित समिति रियायत/बोनस अंक प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के मामलों की जाँच करेगी। रियायत/भारण चाहने वाले सभी विद्यार्थी अपने आवेदन-पत्र सभी प्रपत्रों सहित इस समिति को प्रस्तुत करेंगे और इस समिति की संस्तुति के पश्चात ही प्रवेश समिति द्वारा उनके प्रवेश निश्चित किए जाएंगे।
- (2) सीधे प्रवेश योग्य (Outright) आवेदकों की पात्रता, साक्षात्कार, मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ के प्रमाणीकरण के आधार पर तय होगी। ऐसे प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश/जिलाधीश से अपना शपथ-पत्र/मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणित करा प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा।
किसी भी स्तर पर आयोज्य आमंत्रण प्रतियोगिता के प्रमाण-पत्र भार अंक हेतु विचार योग्य नहीं माने जाएंगे।

(च) प्रवेश प्रक्रिया

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होंगी -

1. (अ) **प्रवेश सम्बन्धी विज्ञप्ति (Admission Notification)** - प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व कुल सचिव/अधिष्ठाता प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रवेश स्थान, आवश्यक योग्यता, आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि एवं आवेदन पत्र किस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियाँ महाविद्यालयों/विभागों के सूचना पट्ट पर भी लगाई जाएगी।
- (ब) **प्रवेशार्थ आवेदन-पत्रों का वितरण (Distribution of Application Forms)** - आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mlsu.ac.in पर ऑनलाइन (online) भरा जाएगा। भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति मय आवेदन फीस की रसीद के साथ में अन्तिम तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएँ। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इसके अभाव में डेटा का सत्यापन संभव नहीं होगा। इस हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं हेल्पलाईन से सहायता ले सकते हैं।
2. **आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि (Last Date for submitting Application Form)** पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से सूचित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। तथापि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3. **प्रवेश-अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission)** निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विभागों/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।
 - (i) वे आवेदक जिनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक महाविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी अथवा शिक्षक अथवा उसके कारण कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।

- (ii) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाए गए हों अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए गए हों या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।
- (iii) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय के किसी विभाग/संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया हो।
- (iv) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा ग्रुप.111/83, दिनांक 3 जुलाई, 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।
- (v) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई-लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

4. आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicants)

- (i) सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिए। प्रविष्टि खाली छोड़ने पर आवेदन-पत्र अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।
- (ii) सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्र उसमें बताए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित ऑनलाईन या महाविद्यालय/संकाय/ कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुँच जाना चाहिए।
- (iii) आवेदक का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि तथा जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार होने चाहिए।
- (iv) रेल तथा बस के किराये की रियायत केवल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लम्बे अवकाश के समय ही, आवेदक के स्थायी पते वाले स्थान, जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लिखित है, के लिए दी जाएगी।
- (v) निवास का पूर्ण पता देना है। यदि पते में परिवर्तन हो तो कार्यालय को तुरन्त सूचित करना है। सम्पर्क करने हेतु स्वयं का एवं अभिभावक का मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई डी भी दें। किसी अन्य का सम्पर्क सूत्र मान्य नहीं होगा।
- (vi) परिचय पत्र प्रवेश की कार्रवाई पूरी होने पर दिया जाएगा।
- (vii) प्रवेश सूची महाविद्यालय/संकाय/सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। प्रवेश पाए हुए छात्रों को निर्धारित दिनांक तक शुल्क अवश्य जमा कराना होगा, अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- (viii) गलत घोषणा एवं प्रमाण पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जाएगा तथा उसे महाविद्यालय से निकाल दिया जाएगा।
- (ix) स्नातकोत्तर पूर्वाह्न कक्षा में जो आवेदक एक से अधिक विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक अतिरिक्त विषय में प्रवेश के लिए स्नातक कक्षाओं के तीनों वर्षों की सत्यापित अंकतालिकाओं सहित अलग आवेदन पत्र भरना होगा। प्रवेश होने पर विद्यार्थी उसी विषय में प्रवेश शुल्क जमा कराए जिसमें वह अंतिम रूप से प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसका अन्य विषयों में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- (x) ऑनलाईन प्रवेश आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र पूर्णतया पठनीय एवं सही होने चाहिए। गलत या किसी अन्य के या धुंधले प्रमाण पत्र या अपूर्ण होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदक की घोषणा (Declaration by the Applicant) प्रवेश के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी यह घोषित करेगा कि -

- (i) मुझे किसी फौजदारी मुकदमें में सजा नहीं हुई है अथवा किसी फौजदारी मुकदमें के सम्बन्ध में मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया गया है।
- (ii) किसी भी न्यायालय में मेरे विरुद्ध फौजदारी का अथवा नैतिक अधमता का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।
- (iii) मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय ने अथवा संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिष्ठाता/आचार्य ने अथवा अन्य सक्षम अधिकारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं कराई है और न उसके लिए मुझे कोई दण्ड दिया गया है।
- (iv) गत सत्र में मैंने अनुशासनहीनता व परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है।
- (v) उपर्युक्त सूचनाओं में से यदि कोई झूठी निकलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।
- (vi) प्रवेश के पश्चात् भी यदि मैं (i) से (v) तक किसी प्रवृत्ति में लिप्त पाया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा प्रवेश तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जाए।

6. आवेदन पत्र जमा कराना (Depositing of Application Forms)

उन सभी प्रवेशार्थियों को जो नवीन पाठ्यक्रम में अथवा उसी पाठ्यक्रम में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की कक्षा में प्रवेश चाहते हैं अथवा पूरक परीक्षा में बैठ रहे हैं एवं अगली कक्षा में प्रवेश चाहते हैं तो अपना आवेदन-पत्र सभी दृष्टियों से पूरा कर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करा देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र यदि तिथि न बढ़ाई गई तो रद्द कर दिए जाएंगे।

प्रवेशार्थी दिए गए आवेदन-पत्र एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएंगे। साथ ही प्रवेश के बाद एक विभाग/महाविद्यालय से दूसरे विभाग/महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किए जाएंगे। अलग-अलग आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभागों/महाविद्यालय में देने होंगे।

7. आवेदन-पत्र के साथ लाए जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होंगी।

- अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकतालिका/तालिकाएँ। एम.ए./एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगाएँ।
- अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण पत्र।
- उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।
- यदि आवेदक शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिए गए बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
- अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथपत्र देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वह अनुत्तीर्ण छात्र नहीं है।
- यदि आवेदक नौकरी में हो तो सम्बन्धित नियोजक का अनापत्ति एवं अच्छे व्यवहार व चरित्र का प्रमाण पत्र।
- आवेदक एवं उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े।

टिप्पणियाँ:

- यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा। मूल प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं तथा उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है।
- आवेदन-पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जाएगा।
- प्रवेश समिति के संयोजक आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेंगे। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता-पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

8. आवेदन-पत्रों का पंजीकरण (Registration of Application Forms)

महाविद्यालय/विभाग के अधिष्ठाता/अध्यक्ष के कार्यालय में प्रवेशार्थी दिए गए आवेदन-पत्रों की सम्बन्धित सचिवालय सहायक द्वारा प्रारम्भिक जाँच के पश्चात् पंजीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात् ये आवेदन-पत्र विभिन्न कक्षाओं/विभागों में प्रवेश हेतु गठित समितियों को अग्रेषित कर दिए जाएंगे।

9. प्रवेश समिति (Admission Committee)

किसी संकाय में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा किए गए आवेदन-पत्र प्रवेश समिति द्वारा एक साथ विचारार्थ लिए जाएंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति का गठन संघटक महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सम्बन्धित संकाय समन्वयक/विभागों के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

10. प्रवेश प्रक्रिया (Procedure of Admission)

- (i) उन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर किए जाएंगे। प्रवेश के लिए योग्यता का निर्धारण अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक तथा नियमानुसार होने वाले भार अंक एवं समय-समय पर सूचित किए गए अन्य प्राप्त नियमों के आधार पर होगा।
- (ii) विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) कक्षा में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं 50 प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक परीक्षा (प्रायोगिक को छोड़कर) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) प्रत्येक श्रेणी के निर्धारित स्थान के लिए अलग-अलग योग्यता सूचियाँ बनाई जाएंगी। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों से पहले प्रवेश निश्चित किए जाएंगे एवं बचे हुए आवेदकों के नाम यदि कोई हो तो उन्हें सामान्य योग्यता सूची में योग्यता के अनुसार स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।
- (iv) प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत गठित किए गए समन्वयकों के कार्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध के प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी –
 1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध (कला संकाय के सभी विषय) में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के आवेदन-पत्र स्वीकार करना। इसके लिए केन्द्र पर दो काउन्टर होंगे। एक काउन्टर पर रियायतें एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन-पत्र जमा होंगे तथा दूसरे काउन्टर पर बिना रियायत एवं भारण चाहने वाले अन्य सभी आवेदन पत्र जमा होंगे। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन होने पर यह प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। आवेदक वेबसाइट पर सूचना देखें। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया नहीं होने की स्थिति में अग्रलिखित हो सकती है।
 2. रियायतें एवं भारण चाहने वाले प्रत्याशी आवेदन पत्र कार्य दिवस में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ सम्बन्धित संकाय की वेटेज कमेटी के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति के समक्ष अनुपस्थित रहने पर आवेदन-पत्र पर रियायत एवं भारण देय नहीं होगा।
 3. वेटेज समिति को मूल प्रमाण-पत्रों में प्रमाणीकरण और प्रत्याशी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के उपरान्त देय रियायतें एवं भारण उसके आवेदन-पत्र पर अंकित कर प्रतिदिन के आवेदन-पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति को भिजवाना है। सीधे उत्तीर्णांक पर प्रवेश लेने वालों के मूल प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिए कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके साथ इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकृत शपथ-पत्र भी जमा कराना होगा।
 4. प्रवेश समिति, प्रतिदिन प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री अपने कार्यालय में कराएगी एवं प्रिण्ट आउटपुट का मूल आवेदन-पत्र की प्रविष्टियों से जाँच करती रहेगी। डेटा एन्ट्री एवं जाँच का कार्य आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के अगले दो दिन तक पूर्ण कर लेना होगा।
 5. आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षित स्थानों हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि पूर्व घोषित सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से तीन दिन बाद की होगी।
 6. ऐसे विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री व जाँच कार्य सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि के चौथे दिन तक पूरा कर लिया जाएगा।
 7. प्रत्येक केन्द्र पर योग्यता वरीयता क्रम के (स्नातक कक्षाओं हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार शतमक-परसेंटाइल आधार पर) अनुसार तथा प्रथम विषय वरीयता क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी की समस्त प्रत्याशी सूची आवेदन-पत्र जमा करने की सामान्य प्रवेश की अन्तिम तिथि से 4 दिन बाद सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।
 8. योग्यता वरीयता क्रम की प्रसारित सूची के अनुसार व्यक्तिगत प्रवेश प्रक्रिया का परामर्श कार्यक्रम सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन को बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों का विवरण उल्लिखित होगा। उसी क्रम से प्रत्याशी अपने अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों, स्व सत्यापित प्रतिलिपियों एवं आवश्यक शुल्क आदि लेकर परामर्श के लिए प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित केन्द्र पर निश्चित दिन व समय पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त माना जाएगा।
 9. समस्त परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त तथा निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात् यदि किसी श्रेणी में किसी केन्द्र पर स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें भरने के लिए योग्यता प्रवेश सूची में सम्मिलित किन्तु अवसर से वंचित प्रत्याशियों को परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर एक अन्तिम अवसर और दिया जा सकेगा। यह अवसर केवल उन प्रत्याशियों को दिया जाएगा जिनके पुनर्विचार के लिए लिखित में आवेदन-पत्र उनकी पूर्व में निर्धारित परामर्श तिथि के दो दिन के भीतर केन्द्र में प्राप्त हो चुके होंगे। आवंटित विषय परिवर्तन हेतु भी लिखित रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसी पुनः परामर्श प्रक्रिया में विचार किया जाएगा।

10. यह अन्तिम पुनः परामर्श प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में आरम्भ हुई परामर्श प्रक्रिया के दिन के आठ दिन बाद दो दिन में पूरी कर ली जाएगी और अन्तिम प्रवेश सूची का प्रसारण सभी महाविद्यालयों में करने के साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को वह सूची प्रेषित कर दी जाएगी।
 11. परामर्श प्रवेश प्रक्रिया के दिन प्रत्याशी को पूर्ण शुल्क का ड्राफ्ट/नकद केन्द्र पर ही जमा कराना होगा।
 12. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् किसी कारणवश यदि कोई स्थान रिक्त रहता है तो उसके लिए आवेदन पत्रों के अभाव में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं। किन्तु यह प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति द्वारा पूरी कर ली जाएगी।
- (v) विधि सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया
1. विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारत विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) के नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अधीन होंगे तथा रियायतों एवं भार (Concession & Weightage) से मुक्त होंगे।
 2. विधि स्नातक (एलएल.बी. त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्रवेश परीक्षा/वरीयता के आधार पर कक्षा की क्षमता तक प्रवेश दिए जा सकेंगे। कक्षा की कुल क्षमता 120 (स्ववित्त पोषित 60) विद्यार्थी हैं।
 - 3.(i) प्रवेश परीक्षा देने के लिए वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधि, प्रौद्योगिक, कृषि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि (10+2+3) पद्धति से अथवा उपर्युक्त किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (10+2+3) पद्धति से स्नातक के बाद) में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हैं।
 - (ii) राजस्थान के बाहर के प्रवेशार्थियों पर प्रवेश सामान्य नियम संख्या 4 लागू होगा।
 - (iii) इस बुलेटिन के अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी किसी विद्यार्थी को विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि उसने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश की पात्रता अर्जित नहीं की है।
 4. यदि किसी अभ्यर्थी का उपर्युक्त विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है तब भी वह प्रवेश परीक्षा दे सकेगा किन्तु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र तभी माना जाएगा जबकि वह प्रवेश के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेगा तथा उसका प्रवेश उपर्युक्त नियम 2 के अधीन होगा।
 5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 45 प्रतिशत प्राप्तांक केवल विधि प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन करने की योग्यता है, इससे प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।
 6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित एवं पुनर्मूल्यांकन कराने वाले प्रवेशार्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
 - 7.(i) किसी विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों से एक भी अंक कम होने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। विधि स्नातक के लिए अजा, जजा, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता पिछली परीक्षा के पास अंक (40%) रहेगी। विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार आरक्षण दिया जाएगा।
 - (ii) सभी पाठ्यक्रमों में (स्ववित्त पोषित सहित) अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र (Entrance Test) की राशि 50 प्रतिशत ही ली जाएगी।
 8. ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विभाग (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) में कार्यरत हो उनको विधि संकाय में प्रवेश तब ही दिया जाएगा जबकि वे अपने नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें कि वे उदयपुर नगर की सीमा में कार्यरत हैं। उदयपुर नगर की सीमा के बाहर कार्यरत विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उदयपुर नगर में कार्यरत विद्यार्थियों को बिना उपर्युक्त प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र तथा प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र महाविद्यालय से निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित तिथि पर प्राप्त किए जा सकेंगे।
 10. भारत की विधि परिषद् की अपेक्षा की पालना के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विवरणिका में कोई बात इसके विपरीत होते हुए भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय विधि स्नातक की परीक्षा देने पर विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कराकर आगे की कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। परीक्षा में असफल घोषित होने पर उनको नियमानुसार शुल्क वापस किया जा सकेगा।
 11. विधि स्नातक का पाठ्यक्रम जो तीन वर्ष का है यदि कोई विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं होता है और विश्वविद्यालय के प्रोन्नत (Promoted) के नियमों के अनुसार द्वितीय वर्ष विधि में प्रवेश पा लेता है लेकिन

- विधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में उसे प्रवेश तभी दिया जाएगा जबकि वह पूर्ण रूप से प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो चुका हो।
12. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 13. विधि पाठ्यक्रम बार कौन्सिल के नियमों के अध्याधीन है। अतः 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी तथा उसे उपस्थिति की कमी के बारे में सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी। नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vi) **एम.ए. के लिए योग्यता निर्धारण**
- एम.ए. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के निर्धारण हेतु जिस विषय में अभ्यर्थी प्रवेश चाह रहा है उस विषय में उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों को बी.ए. के कुल प्राप्तांकों से जोड़कर योग्यता का निर्धारण किया जाएगा। प्रवेश के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार प्रवेशार्थी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। प्रवेश हेतु उन्हीं संकाय के स्नातक डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों की योग्यता वरीयता का निर्धारण 5% अतिरिक्त अंक देकर दिया जाएगा। इसके लिए प्रवेशार्थी न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। एम.कॉम. में प्रवेश बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./बी.बी.एम. में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर ही देय होगा।
- (vii) **प्रपत्रों की मूल प्रति जमा कराना (Depositing of Original Documents)**
- विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने के पश्चात् ही शुल्क/डी.डी. जमा कराके उनके प्रवेश को निश्चित किया जाएगा।
11. **वैकल्पिक विषय एवं लघु शोध प्रबन्ध (Optional Subjects & Dissertation)**
जिन ऐच्छिक पेपर/पेपर्स को विद्यार्थी लेना चाहता है उसका उल्लेख आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। किसी कक्षा में ऐच्छिक पेपर्स को योग्यता के आधार पर उन आवेदकों को दिया जाएगा, जो उन विषयों को लेने के इच्छुक हैं। कक्षा में पेपर्स की क्षमता तक ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में ऐच्छिक पेपर व्यक्तिगत परामर्श के उपरान्त दिए जाएँगे, जिनमें सामान्यतया परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. पूर्वाह्न परीक्षा में यदि किसी विद्यार्थी ने 55 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं तो उत्तराह्न परीक्षा के लिए सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रावधान के अनुसार एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र के स्थान पर लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) को विभाग द्वारा वांछित सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुमति दी जा सकेगी। (अजा/जजा हेतु 50% अंक माने जाएँगे।)
 12. विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के जिन विद्यार्थियों का आरक्षण कोटे के भरने के बाद भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थी अगर उदयपुर के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्र स्थानीय महाविद्यालयों में स्थानान्तरित किए जा सकेंगे।
 13. **प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission)**
अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है -
(i) आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिए गए हों।
(ii) यदि आवेदन-पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किए गए हों।
(iii) यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न किए गए हों।
(iv) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थायी प्रवेश दे दिया गया हो।
(v) यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।
(vi) परिस्थितिजन्य अन्य कोई समुचित कारण/आदेश होने पर।
 14. **पाठ्यक्रम को स्थगित करना (Suspension of Course of Study)**
यदि किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध न हो पाए तो विद्यार्थियों को प्रवेश दे देने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय द्वारा उस पाठ्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है। यदि किसी नवीन पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या स्नातक पाठ्यक्रम में 10, ऑनर्स में 5 एवं स्नातकोत्तर में 3 न हो तो उस पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अन्य पाठ्यक्रम के पात्र हो तो उन्हें उसमें जाने की अनुमति अथवा प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
 15. **उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Re-evaluation of Answer-Books)**
किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा

परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जाएगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

16. पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Students Qualifying at Supplementary Examination)

पूरक घोषित होने वाले विद्यार्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक तभी प्रवेश ले सकेंगे, जब सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद स्थान रिक्त हो एवं नियम 7 के अधीन वे योग्यता सूची में आते हों। निर्धारित तिथि वही होगी जो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं तथा यह सुविधा केवल स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए है।

17. राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से आने वाले छात्रों का प्रवेश (Admission of Students coming from other Universities of Rajasthan)

राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण यहाँ द्वितीय वर्ष में 30 सितम्बर तक प्रवेश दिया जा सकेगा। उन्हें दो वर्ष की उपाधि प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की श्रेणी का निर्धारण उनके द्वारा विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। किन्तु तृतीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा।

18. अतिरिक्त विषय/समूह ग्रुप की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश (Admission of Students Appearing in Additional Subjects Group)

किसी विषय की स्नातकोत्तर पूर्वाह्न परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी विषय के किसी अतिरिक्त विषय समूह में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी को कक्षा में रिक्त स्थान होने पर नियमित प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल अतिरिक्त विषय/समूह की अंकतालिका ही दी जाएगी।

19. प्रवेश वर्जित

- (i) अन्य महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं हैं।

20. प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ

- (I) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आधिकारिक रूप से प्रवेश का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होने पर भी किसी विद्यार्थी को बिना कारण बताए प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है।
- (ii) विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द किया जा सकता है, यदि वह विश्वविद्यालय अधिनियम व उपनियमों की धाराओं का अथवा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की आज्ञाओं का उल्लंघन अथवा किसी अपराध के लिए दण्डित हुआ हो अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त हो अथवा यह पाया जाए कि उसने प्रवेश के लिए गलत जानकारी अथवा प्रपत्र दिए हैं।
- (iii) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम, विधि संकाय के पाठ्यक्रमों, विद्यावाचस्पति (Ph.D.) तथा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जिनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, उनको कृपया अलग से देखें।
- (iv) अजा, जजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नियम इस विवरणिका में उल्लिखित तथा संबंधित निर्देशानुसार लागू रहेंगे।

21. प्रवेश अधिकारी

स्नातक स्तर के सभी प्रवेश समन्वयक/अधिष्ठाता द्वारा किए जाएँगे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश समन्वयक/विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएँगे। विशेष पाठ्यक्रमों के प्रवेश अधिकृत संचालक द्वारा किए जाएँगे। इस संबंध में निर्णय का इन्हें विश्वविद्यालय के नियमों तथा निर्णयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अधिकार होगा।

22. Special Rules Regarding Foreign Students

A. ADMISSION

1. Candidates who obtain required qualifications from outside India and are now willing to join any course with the University must first apply to Association of Indian Universities (AIU) Delhi for equivalence certificate, having obtained such certificate, they should apply for eligibility letter for admission to the University. In order to obtain eligibility letter for admission to Ph.D. Programme, the candidate must also submit approved synopsis of Ph.D. by a recognised supervisor, along with the application.

2. In respect of students who produce letter of admission eligibility from this University, the Indian mission abroad will issue Student Visa/ Research Visa.
3. The foreign students seeking admission to any course of the University including Ph.D. should apply through their Embassy/High Commission. Those who have passed their qualifying examination from a University within India (other than MLSU) should also apply under intimation to their embassy/high commission. They also have to submit migration certificate within one month from the date of provisional admission.
4. A foreign national shall be eligible for admission to any course of this University provided he/she has obtained minimum 60% marks in the qualifying examination. This rule, however, will not apply in case of those candidates who qualify their graduation from this University.
5. For admission to First Year of Three Year Degree Course in any faculty, only those candidates shall be eligible who had English as a subject in their qualifying examination.
6. For admission to First Year of the Three-Year Degree Course in science faculty, only those candidates shall be eligible who had General Science as a subject in their qualifying examination.
7. The Dean, P.G. Studies will decide the cases for Ph.D. enrollment of foreign students in consultation with the International Students' Advisor.
8. The foreign students are required to submit a Medical Fitness Certificate from the specified authority by the Ministry of Home at the time of their admission. They will also submit an AIDS Test Report from S.M.S. Hospital, Jaipur /R.N.T. Medical College, Udaipur for ICMR AIDS SURVEILLANCE Centre.
9. Residential permit granted for studies and entry-visa for more than six months will be treated at par with student visa.
10. All foreign students seeking admission to this University should be apprised that the medium of instruction in the University is generally Hindi at the Undergraduate level.
11. All foreign students will be admitted, if otherwise found eligible, only as regular students in the college concerned. Foreign students are not eligible to appear as a Non-Collegiate (Private) candidate at any examination of this University.
12. If a student does not pass any exam he/she shall be allowed to take regular admission in the same class only two more times, in the immediate successive sessions. He/she shall not be entitled to become Ex-student in any case. In case he/she does not pass any class within three years, he/she will have to go back to his/her country.
13. The University shall not accept any admission on transfer and/or allow to change his/her admission from other educational institutes/from any other University into this University during packaged programme of study.
14. A foreign student is required to submit a copy of the registration with Criminal Investigation Department, Udaipur after he/she is admitted.
15. Foreign students are required to submit all original documents for verification to the Head of the Institution while seeking admission in the college concerned.
16. Students who fail to furnish the required documents at the time of admission, their admission shall remain provisional for a period not beyond 31 December every year. Thereafter provisional admission shall be cancelled by the University/Institution and the matter shall be reported to the Ministry and Embassy concerned.

B. FEE (Revision under consideration)

1. Tuition Fee

(i) Undergraduate Courses	
First Year	Rs. 340 per month
Second Year and Third Year	Rs. 440 per month
(ii) Post-Graduate Courses	Rs. 540 per month
(iii) M.Phil	Rs. 800 per month
(iv) Ph.D.	Rs. 9600 per year

2. University shall charge Rs. 100 (One Hundred only) as eligibility verification fee on admission.
3. Fees under all other heads charged from local students, shall be payable by foreign students at the same rates.

C. DISCIPLINE

Foreign students are required to maintain good conduct during the course of studies in the University and are to act according to the advice of the Dean Students Welfare, International Students Advisor, Head of the Institution concerned and other University authorities. Otherwise, disciplinary action shall be taken as per provisions in the Information Bulletin of the University/Institute. They shall not participate in local politics and local franchise except Students' Union Election wherein they will be eligible to cast vote only.

2. The student shall make payment of college fee and University dues on the prescribed dates.
3. If a foreign student remains absent from the class for one month continuously, his/her admission will stand cancelled and he/she will be no more a student of the college.

D. MISCELLANEOUS

1. In case, a foreign student desires to leave for abroad during the course of study, he/she should obtain No Objection Certificate from the Head of Institution/Department and immediately on return, he/she should submit a certificate of medical fitness to the concerned Institution/Department.
2. So long as the student is not registered for any course, the University authorities will not issue a bonafide student certificate to him.
3. The Head of the Institution/Dean P.G. Studies will send the details of the foreign students, immediately after their admission, to the Registrar and the International Students' Advisor.
4. All other rules and regulations for local students shall apply for foreign students also.

